कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE Re.1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. / 2014 R-3529-III/14

1. फैयाज अली तनय हाजी जहूर अली निवासी मु. व पो. नया मोहल्ला जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. अवधेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री संतोष अग्रवाल
3. राकेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जानकी प्रसाद अग्रवाल

निवासीगण हटवारा मोहल्ला वार्उ नं. 11 जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती कल्पना असाटी पत्नी श्री दीनदयाल असाटी निवासी बस स्टेण्ड नौगांव रोड जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कं. 149/ पुनर्विलोकन/13–14 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3429--तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14--10--2014	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0त्यागी उपस्थित । प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं को ग्राहयता पर सुना गया तथा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7--7--14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 2-- अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति बिना आवेदक को सुने दी गई है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । अतः इस प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वह पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व उभयपक्ष को सुनकर पुनः आदेश पारित करें । प्रशासकीय सदस्य	